मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 31 मई 2002

क्रमांक सी-6-4/2002/3/एक,

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय.—मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अंतर्गत विभागीय जांच में शासकीय सेवक द्वारा सेवानिवृत्त शासकीय सेवक की सहायता लेने के संबंध में.

संदर्भ.— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं प्रशिक्षण विभाग का परिपत्र क्रमांक सी-5-5/87/49/3, दिनांक 11-8-1988.

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14(8) के अंतर्गत निहित प्रावधानानुसार विभागीय जांच के प्रकरणों में शासकीय सेवक अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये किसी अन्य शासकीय सेवक की सहायता ले सकता है. ऐसा करने के लिये जांच अधिकारी या अनुशासनिक प्राधिकारी से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है.

2. संदर्भित परिपत्र दिनांक 11-8-1988 द्वारा प्रावधानित किया गया था कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक एक समय में ऐसे दो से अधिक मामले नहीं ले सकता है. उक्त परिपत्र को संशोधित करते हुये, अब राज्य शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों की सहायता निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन की जाएगी :—

1. संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक राज्य शासन की सेवा से सेवानिवृत्त हुआ हो,
2. यदि सेवानिवृत्त शासकीय सेवक वकील भी है, तो दोषी शासकीय सेवक द्वारा अपनी ओर से मामला प्रस्तुत करने के लिये वकील नियुक्त करने के संबंध में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम, 14 (8) में दिये गये उपबंध लागू होंगे.
3. संबंधित शासकीय सेवक अपनी शासकीय हैसियत में, मामले की जांच अथवा अन्य किसी स्तर तक किसी भी तरह से संबद्ध न हो.
4. संबंधित सेवानिवृत्त शासकीय सेवक एक ही समय पर पांच से अधिक मामलों में बचाव पक्ष के सहायक के रूप में कार्य न करे. सेवानिवृत्त शासकीय सेवक जांचकर्ता अधिकारी को यह संतुष्टि करा दे कि उसके पास प्रश्नाधीन मामले सहित पांच से अधिक मामले हाथ में नहीं हैं.
5. ऐसे मामलों में सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को यात्रा भत्ते की पात्रता, उसी प्रकार होगी, जिस प्रकार सेवानिवृत्ति के तत्काल पूर्व थी. इस प्रकार के यात्रा देयकों का भुगतान जांच अधिकारी द्वारा दिये गये उपस्थिति प्रमाण-पत्र के आधार पर, उस कार्यालय द्वारा किया जाएगा, जिस कार्यालय से अपचारी शासकीय सेवक संबंधित हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.